संख्या- 66 /2023 / 291 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 20 फरवरी, 2023

विषय:-राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की पार्किंग एरिया के विकास के अन्तर्गत संग्रहालय परिसर में पर्यटकों हेतु वाहन स्टैण्ड, कैन्टीन, शौचालय एवं अम्ब्रेला हट आदि के निर्माण हेतु रू0 69.78 लाख की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1452/उ0प्र0सं0नि0-5(86)/2019-20 दिनांक 24 जनवरी, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की पार्किंग एरिया के विकास के अन्तर्गत संग्रहालय परिसर में पर्यटकों हेतु वाहन स्टैण्ड, कैन्टीन, शौचालय एवं अम्ब्रेला हट आदि के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 69.78 लाख (रूपये उन्हत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, संग्रहालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-42-अन्य व्यय, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय लखनऊ मद से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 66 /2023 / 291 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ/ गोरखपुर।
4- प्रबंध निदेशक / परियोजना प्रबंधक, उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ/ गोरखपुर।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय लखनऊ/ आहरण एवं वितरण अधिकारी, गोरखपुर।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0 प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।